UPSB010048302022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
पीठासीन–अशोक कुमार यादव–I, एच.जे.एस.,UP05607

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2337 / 2022

शैलेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र, निवासी ग्राम बिचपई, थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. आवेदक **शैलेन्द्र कुमार** के जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता श्री जगजीवन सिंह तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

2. आवेदक **शैलेन्द्र कुमार** अ.सं.–380 / 2022 अंतर्गत धारा–379, 411 भा.दं.सं., थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में अभियुक्त है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में अभिकथन है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है, न निरस्त किया गया है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात यह कहा गया है कि अभियोजन कथानक गलत व असत्य है। कथित मोबाइल किसके पास से बरामद हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। आवेदक घटना स्थल से पकड़ा नहीं गया। उसे घर से पकड़कर फर्जी गिरफ्तारी व बरामदगी दिखाकर इस मामले में संलिप्त किया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह दिनांक–26.05.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पैरोकार अजय द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का तर्क प्रस्तुत किया जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है।

5. मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट का सम्यक परिशीलन किया जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक–25.05.2022 को 3.30 बजे वादी राहुल कुमार अपना टैम्पो नंबर–यू.पी.64टी / 5563 लेकर धर्मशाला चौक पर आया जहां मोनू उर्फ विशेक गिरी, शैलेन्द्र व एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आकर बुकिंग भाड़ा दिलवाने के लिये चण्डी तिराहा के पास ले जाकर उसकी जेब से उसका मोबाइल चुराकर भागने लगे। उसके शोर पर अगल–बगल मौजूद लोगों द्वारा अनिल गिरी व शैलेन्द्र को पकड़ लिया। तभी मौके पर पुलिस भी आ गई और

पुलिस ने अनिल गिरी, शैलेन्द्र व उसकी मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया। उनका अज्ञात साथी भाग गया। तब वादी ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

6. केस डायरी के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक व उसके सहयोगी के संयुक्त कब्जे से एक अदद मोबाइल की बरामदगी बताई गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। अपराध अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं। आवेदक दिनांक–26.05.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अभियुक्त अपराध की प्रकृति, दंड की मात्रा, अभियुक्त के अपराधिक इतिहास न होने तथा अभियुक्त की कारागार में निरूद्धि की अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। तद्नुसार आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक **शैलेन्द्र कुमार** का अ.सं.–380/2022 अंतर्गत धारा–379, 411 भा.दं.सं., थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2337/2022 स्वीकार किया जाता है। आवेदक को उक्त प्रकरण में रु.50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू बंध पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
2. आवेदक विचारण के प्रारंभ की अवस्था, आरोप विरचित होने के दिनांक एवं धारा–313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण के दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देगा कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करे।
4. आवेदक साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
5. जो अभियोग आवेदक पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध नहीं करेगा।

दिनांक–14.10.2022

(**अशोक कुमार यादव–I**)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

Digitally signed by Ashok Kumar Yadava I
Date: 2022.10.14 17:37:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sonbhadra